(48)

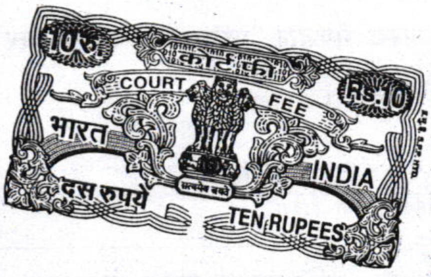

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक निगरानी/गुना/भू.रा./2017/4822 /2017 जिला–गुना

रामदास पुत्र श्री पुरूषोतम राजपूत
निवासी–ग्राम कस्बा कुम्भंराज जिला गुना (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला–गुना (म.प्र.)

...... अनावेदक

04.12.17 ...को

4-12-17

6-12-17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चांचौडा द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 4822

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेशिका दिनांक 28–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष सही है कि आवेदक द्वारा जो बिन्दु उनके समक्ष उठाये गये हैं, उन्हें तहसील न्यायालय में मूल प्रकरण की सुनवाई के दौरान उठाना चाहिए था । एक बार प्रकरण में आदेश होने के बाद उसे अपील में ही चुनौती दी जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्तमान कार्यवाही तहसील न्यायालय के आदेश का पालन न करने के संदर्भ में प्रचलित है । उक्त प्रकाश में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	